

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के निम्नांकित कार्मिक का दोहरा पदस्थापन हो जाने से निम्नांकित के नाम के सामने अंकित स्थान पर संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास-वाणिज्य/2019-20

दिनांक-7.10.19

क्रम	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	subject	कहां से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहां को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	ओमप्रकाश मूण्ड	HIST	अगवरी -आहोर	जालोर	अणवाणा-बावड़ी	जोधपुर
2	मूल चन्द मीणा	HIST	बडेर-अलवर से स्थानान्तरणाधीन सकट अलवर के स्थान पर	अलवर	स्थानान्तरण आदेश से इनका नाम प्रत्याहरित कर यथावत बडेर-अलवर	अलवर
3	चन्द्र प्रकाश मीना	HIST	पालोद डूंगला चितौड़गढ़ से स्थानान्तरणाधीन बिवाई बांदीकुई के स्थान पर	दौसा	GIRLS BAGRI-LALSOT	दौसा
4	विजय कुमार तिवाड़ी	comm	GD RUIYA RAMGARH SHEKHAWATI SIKAR से स्थानान्तरणाधीन L.N TAPDIYA SANDWA BIDASAR CHURU के स्थान पर	चुरु	राजलदेसर-रतनगढ़	चुरु
5	रामनारायण मीना	HIST	सुनारी झालावाड़ से स्थानान्तरणाधीन खनिपुरा जालसु जयपुर के स्थान पर	जयपुर	सुनेरी-उनियारा	टोंक
6	कैलाश चन्द सुथार	HIST	राजेन्द्र मार्ग भीलवाड़ा से स्थानान्तरणाधीन मायला मसूदा के स्थान पर	अजमेर	DHOLADANTA-MASUDA	अजमेर
7	सुनील कुमारी	HIST	न्यांगल छोटी- राजगढ़	चुरु	चांद गोठी	चुरु
8	राखी मेहता	HIST	सी-स्कीम जयपुर से स्थानान्तरणाधीन jawali-tonk के स्थान पर	टोंक	बामोर	टोंक
9	सुरेश प्रजापत	HIST	मजल समंदडी बाडमेर से स्थानान्तरणाधीन सिधीपुरा पिपाड़ सिटी के स्थान पर	जोधपुर	बोरुन्दा-पिपाड़ सिटी	जोधपुर

(हस्ताक्षर)

क्रम	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	subject	कहां से राउमावि/राबाउमावि	जिला	कहां को राउमावि/राबाउमावि	जिला
1	2	3	4	5	6	7
10	आनन्दाराम मीणा	HIST	रामपुरा टोडिया बारां से स्थानान्तरणाधीन देवगांव जयपुर के स्थान पर	जयपुर	उदयपुरा-उनियारा	दौसा

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/स्थानान्तरण-संशोधन/इतिहास-वाणिज्य/2019-20

दिनांक-7.10.19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा आधिकार माध्यमिक का नदाशत किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कामकाज के नियमानुसार कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवे। सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान का प्राप्त कर नदाशत किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण का तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर